

Message of Hon'ble Chief Justice on Birth Anniversary of Bharat Ratna, Dr. B.R.Ambedkar



On 15th August, 1947, on the eve of India's Independence, at the stroke of midnight hour, when the world was sleeping Pt. Jawahar Lal Nehru while addressing the Indian Constituent Assembly said “That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfil the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity”.

The ambition of Indian people echoed from the Central Hall of the Parliament house could have been realized only by a dynamic and visionary path of development. Such path could have been given through a constitution and for that on 29th August, 1947 the Constituent Assembly appointed a “Drafting Committee”.

The illustrious son of Indian soil Bharat Ratna, Dr. B.R. Ambedkar became President of the Committee on 30th August, 1947. Quite soon the Drafting Committee placed a draft constitution before the Constituent

Assembly and after due deliberations on 26th November, 1949; We the people of India adopted, enacted and gave ourselves the most important socio-economic and political document “The Constitution”.

True it is, making of the Constitution was a joint effort of members of the Drafting Committee and the Constituent Assembly, but the reflection of the wisdom of Dr. Ambedkar on it is apparent. In words of Dr. Rajendra Prasad “We never did a better thing than having Dr. Ambedkar on the Drafting Committee and selecting him as its Chairman”.

The Columbia University at its special convocation conferred LLD degree on Dr. Ambedkar with a citation that reads: The Degree is being conferred in recognition of the work done by him in connection of the drafting the Indian Constitution”. Dr. Ambedkar was hailed by the University as “One of India's leading citizen, a great social reformer and vigilant upholder of human rights”.

The Constitution of India is not a simple law book or testament for do's and dont's, but a well finished path for socio-economic and political progress of India as a nation and as a federal society of its citizens with adequate freedom to all the stakeholders to protect and promote their healthy traditions and values.

While handing over this great document to us, Dr. B.R. Ambedkar was aware of the thorns lying on the path. In his words:-

“On the 26th of January, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we

continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up”.

To protect and promote values of the Constitution he always desired for open and free mind as he had and was in his deeds. His vision as narrated by him was, *“Freedom of mind is the real freedom. A person whose mind is not free though he may not be in chains, is a slave, not a free man. One whose mind is not free, though he may not be in prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free though alive, is no better than dead. Freedom of mind is the proof of one's existence”.*

Today we are celebrating 129th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The celebration is a well deserved tribute to his values that we adopted in our Constitution. The jewels of our system of governance are sovereignty, socialism, secularism, democracy and republican form of state committed to justice-socio-economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity; and the fraternity among all the citizens assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.

Being citizen of India, it is our fundamental duty to abide by the Constitution and respect its ideals. Being member of the judicial fraternity, the responsibility lies in higher degree on our shoulders to ensure promotion and protection of all constitutional ideals and values. These values are not meant

to be adhered by state only, but these must be the way of our life and in day to day activities of every citizen.

In our multi class society the concept of equality is a treasure. Though a reasonable classification is permissible but the deepest tribute to the architect of our constitution would be to have a genuine equality in every sphere of social, economic and political arena of Indian citizens. The communalism, casteism, regionalism, gender bias and close mind view of socio-political issues are antithesis to our constitutional ideals and we must fight against those fearlessly, fairly and without any hesitation. In our day to day life as well as while discharging our official duties we must commit ourselves for the core constitutional values those acquired shape during our freedom struggle and put in words by the Drafting Committee under leadership of Dr. B.R. Ambedkar.

On the pious day of 14th April, we must all look into ourselves to take corrective measures to make our constitution successful. This would be the only way to pay tribute to maker of the Constitution and to make the Indian Union long live.

Jai Hind.

(Govind Mathur)

Chief Justice

15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर आधी रात को जबकि दुनिया निद्रा में लीन थी, पं० जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था—

“वह भविष्य सरलता या आराम करने का नहीं है बल्कि हमने जो संकल्प इतनी बार किये हैं और जो आज संकल्प करेंगे उनको पूरा करने हेतु लगातार प्रयास करने का है। भारत की सेवा का अर्थ उन लाखों लोगों की सेवा का है जो कष्ट भोग रहे हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता एवम् बीमारी तथा अवसर की असमानता का अन्त करना।”

संसद भवन के केन्द्रीय हॉल से प्रतिध्वनित भारतीयों की आकाक्षाओं को एक गत्यात्मक एवम् दूरदर्शी विकासोन्मुखी मार्ग द्वारा ही मूर्त रूप दिया जा सकता था। ऐसी राह एक संविधान के द्वारा ही दिखायी जा सकती थी और इस हेतु 29th अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक ‘प्रारूप समिति’ की नियुक्ति की गयी।

30 अगस्त 1947 को लब्धप्रतिष्ठ भारतीय माटी के लाल भारत रत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष बने। जल्द ही प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने संविधान की एक रूप—रेखा प्रस्तुत की और सम्यक् विचार—विमर्श के उपरान्त 26 नवम्बर 1949 को हम भारत के लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दस्तावेज “संविधान” को अंगीकृत, अधिनियमित एवम् आत्मार्पित किया।

यह सच है कि संविधान का निर्माण प्रारूप समिति और संविधान सभा का एक संयुक्त प्रयास था, लेकिन इस पर डॉ० अम्बेडकर के प्रज्ञान का प्रतिबिम्ब स्पष्ट है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में, “हमने डॉ० अम्बेडकर को प्रारूप समिति में रखने और उन्हें इसका अध्यक्ष चुनने से बेहतर कभी कोई कार्य नहीं किया। कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने अपने विशेष दीक्षांत

समारोह में डा० अम्बेडकर को एल० एल० डी० की उपाधि इस उद्घरण के साथ प्रदान की कि— भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए यह उपाधि प्रदान की जा रही है। डॉ० अम्बेडकर को विश्वविद्यालय द्वारा “भारत के अग्रणी नागरिक, एक महान समाज सुधारक और मानव अधिकार के सतर्क धारक” के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

भारत का संविधान महज ‘करो या न करो’ की एक साधारण पुस्तक या विधान नहीं है बल्कि समस्त हितधारकों की स्वस्थ परम्पराओं एवं मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ एक राष्ट्र के रूप में और अपने नागरिकों के संघीय समाज के रूप में भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति हेतु एक अच्छी तरह से तैयार मार्ग भी है।

इस महान दस्तावेज को हमें सौंपते समय डा० बी० आर० अम्बेडकर को मार्ग में आने वाली बाधाओं का आभास था। उनके शब्दों में :

“26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में समानता होगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के असमानता होगी। राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति एक मत’ और ‘एक मत एक आदर्श’ के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में ‘एक व्यक्ति एक आदर्श’ के सिद्धांत को नकारेंगे। कब तक हम इन अंतर्विरोधों का जीवन जिएं? कब तक हम अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि लंबे समय तक ऐसा किया गया, तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें यथाशीघ्र इस अंतर्विरोध को समाप्त करना चाहिए अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग उस राजनैतिक

लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे जिसे सभा ने बड़ी कठिनाई से तैयार किया है।”

संविधान के मूल्यों की रक्षा करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सदैव खुले और स्वतंत्र मस्तिष्क, जैसाकि उनका स्वयं का मस्तिष्क खुला और स्वतंत्र था और वह उनके कार्यों में था, की कामना करते थे। उनकी परिकल्पना जिसका उन्होंने वर्णन किया, थी,

“मस्तिष्क की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, यद्यपि वह जंजीरो में नहीं है, एक गुलाम है, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, यद्यपि वह जेल में न हो, एक कैदी है और स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जिसका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है यद्यपि वह जीवित है, किसी मृत व्यक्ति से बेहतर नहीं है। मस्तिष्क की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण है।”

आज हम डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की 129 वीं जयंती मना रहे हैं। यह जयंती उनके मूल्यों, जिसे हमने अपने संविधान में अंगीकृत किया है, की सच्ची श्रद्धाँजलि है। संप्रभुता, सामाजिकता, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और राज्य का गणतंत्र रूप जो सामाजिक—आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करते हुए सभी नागरिकों के मध्य बंधुत्व हमारी शासन प्रणाली के गहने हैं।

भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों का सम्मान करें। न्यायिक समुदाय के सदस्य होने के नाते, सभी संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के

सवर्धन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी काफी हद तक हमारे कंधों पर है। इन मूल्यों का पालन केवल राज्यों के द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए अपितु ये हमारे जीवन का तरीका और प्रत्येक नागरिक की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में होना चाहिए।

हमारे बहुवर्गीय समाज में समानता की अवधारणा एक निधि है। हालांकि एक युक्तिसंगत वर्गीकरण अनुज्ञेय है लेकिन हमारे संविधान के शिल्पकार को सच्ची श्रद्धाँजलि यह होगी कि भारतीय नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिधि के प्रत्येक भाग में वास्तविक समानता हो। संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, लिंगभेद एवं सामाजिक राजनैतिक मुद्दों पर संकुचित दृष्टिकोण, हमारे संवैधानिक आदर्शों के विपरीत है तथा हमें उनके विरुद्ध अवश्य ही निर्भीकता, निष्पक्षता एवं बिना किसी संकोच के संघर्ष करना चाहिए। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन तथा अपनी शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान, स्वयं को अपने उन मूल संवैधानिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध होना होगा जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आकार लिया तथा जिन्हे डा० बी० आर० अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति द्वारा शाब्दिक रूप दिया गया। 14 अप्रैल के पावन अवसर पर अपने संविधान को सफल बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने हेतु हम सभी को अपने अंदर झाँकना चाहिए। अपने संविधान निर्माता को श्रद्धाँजलि देने और भारतीय संघ को अमर बनाने का यही एक मात्र रास्ता है।

जय हिन्द

(गोविन्द माथुर)
मुख्य न्यायमूर्ति